

[To be published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II,
Section 3, Sub-section (ii)]

Government of India
Ministry of Corporate Affairs
Notification

New Delhi, the 7th August, 2018

S.O. _____(E).- In exercise of the powers conferred by
sub-section (2) of section 1 of the Companies (Amendment) Act,
2017 (1 of 2018), the Central Government hereby appoints the
7th day of August, 2018 as the date on which the provisions of
section 10 of the said Act shall come into force.

[File No. 1 /21 /2013-CL-V]


(K.V.R. Murty) 07/8/18

Joint Secretary to the Government of India

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अगस्त, 2018

का.आ.(अ).- केन्द्रीय सरकार, कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2017 (2018 का 1) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 7 अगस्त, 2018 को ऐसी तारीख के रूप में नियत करती है, जिस तारीख को उक्त अधिनियम की धारा 10 के उपबंध प्रवृत्त होंगे।

[फाइल संख्या 1/21/2013-सीएल-V]

के. वी. आर. मूर्ति
07/8/18

(के. वी. आर. मूर्ति)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार